# न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

सरंपच ग्राम पंचायत पहडिया जंनपद पंचायत रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

R 5087 -III/16

------ निगरानी पुर्नअबलोकनकर्ता

बनाम

1– राजीव विकास परिसद द्वारा अध्यक्ष बालेन्द्र शुक्ल तनय श्री मुनि प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम रौरा तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

2– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रीवा

--- अनावेदकगण

श्री अरुण कुमार शर्मा एड. के द्वारा आज दिनांक 16/2/16 प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुर्न अबलोकन आवेदन पत्र आदेश दिनांक 04/08/2014 निगरानी प्रकरण क0 3735/03/2013 का आदेश दिनांक 04/08/2014 अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959ई0 की पुर्न अबलोकन प्रकरण 3361/03/2014 पेशी दिनांक 10/02/2014 प्रकरण वापसी दिनाक 19/01/2014 के सम्बन्ध में

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 09 नियम 07 सी0पी0सी0

17-2-16

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्न है:–

1– यह कि उपरोक्त प्रकरण उन्मान माननीय न्यायालय हजा के समक्ष दिनांक 01/02/2016 को सुनवाई हेतु नियत था, लेकिन उक्त प्रकरण उन्मान में आवेदक एवं अनावेदक क0 1 मिल कर आपसी समझौताकर एक वापसी आवेदन पत्र दिनांक 19/01/2016 को देकर प्रकरण समाप्त करनें कर निवेदन किया हैं जिसमें म0प्र0 शासन का हित नियत हैं और वह उक्त उन्मान प्रकरण में पक्षकार क. 2 तथा लेकिन शासन

XXXIX(a)-BR(H)-11

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 5087/II/16 ...... जिला रीवा

| स्थान तथा दिनांक | सरपंच ग्राम पंचायत पहारिया कार्यवाही तथा आदेश राजीव विकास परिषद | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9-3-16 | प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री अरुण कुमार शर्मा (उप०) उनके द्वारा रिव्यू प्रकरण में अपने तर्क प्रस्तुत किये गये। आवेदक रिव्यू कर्ता के अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा रिव्यू आवेदन में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया।<br>अवलोकन करने पर पाया गया कि यह रिव्यू आवेदन रिव्यू प्रकरण क्रमांक 3361/तीन/2014 में पारित आदेश दिनांक 9.2.16 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, पूर्व रिव्यू प्रकरण क्रमांक 3361/तीन/14 में भी आवेदक रिव्यू कर्ता सरपंच ग्राम पंचायत पहारिया ही थे एवं द्वितीय रिव्यू प्रकरण (वर्तमान इस रिव्यू प्रकरण) में भी रिव्यू कर्ता सरपंच ग्राम पंचायत पहारिया ही है। वही सम्पूर्ण प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है कि पूर्व रिव्यू प्रकरण क्रमांक 3361/तीन/14 को आवेदक रिव्यू कर्ता सरपंच ग्राम पंचायत पहारिया के अधिवक्ता सहित सरपंच श्रीमती बीना पाण्डेय स्वयं उपस्थित हुई और रिव्यू प्रकरण को आगे न चलाने के निवेदन के साथ वापस लेने का निवेदन किया गया तत्पश्चात उनके निवेदन पर प्रकरण समाप्त किया गया था।<br>अब पुनः दुबारा रिव्यू प्रकरण क्रमांक 3361/तीन/14 में पारित आदेश का रिव्यू | |

R.5087/11/16 रीवा

| स्थान तथा दिनांक | सरपंच पहारिया कार्यवाही तथा आदेश शीजेवि विकास परिषद | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | आवेदन सरपंच ग्राम पंचायत पहारिया की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अरुण कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उनके द्वारा यह अंकित किया गया है कि प्रकरण मे शासकीय हित निहित है किन्तु शासकीय हित किस प्रकार निहित है यह स्पष्ट करने में वे असफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में इस रिव्यू प्रकरण मे ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह रिव्यू प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण द० रि० हो। | |
| | सदस्य | |

राममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.